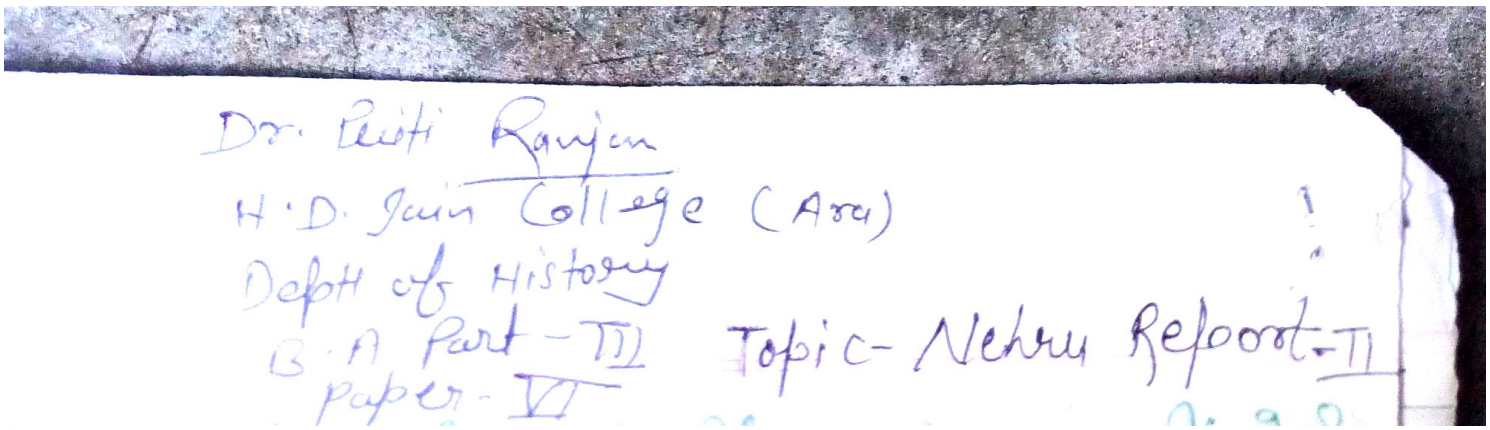
Dr. Priti Ranjan
H.D. Jain College (Ara)
Deptt of History
B.A Part - III
Paper - VI
Topic - Nehru Report - II

(4)

८ केन्द्रीय विधान मण्डल :—

कहा गया कि केन्द्रीय विधान मण्डल द्विसदनात्मक होना चाहिए, निचले सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और उच्च सदन का निर्वाचन परोक्ष रूप से होना चाहिए, निम्न सदन में 500 व उच्च सदन में 200 सदस्य होने चाहिए.

९ देशी रियासतें :—

रिपोर्ट में कहा गया कि नये संविधान में केन्द्रीय सरकार को रियासतों के ऊपर वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी ताज के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त थे. देशी नरेशों के अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया गया.

नेहरु रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया :—

सर्वदलीय सम्मेलन में तो नेहरु रिपोर्ट को 1928 में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, परन्तु बाद में विभिन्न दलों ने अलग-2 नेहरु रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट के बारे में मतभेद पैदा हो गये, कांग्रेस ने 1928 के अपने वार्षिक अधिवेशन में नेहरु रिपोर्ट को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु काफी मतभेद के बाद, कारण यह था कि पं० जवाहर लाल नेहरु व श्री सुभाष चन्द्र बोस पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे, औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में नहीं।

कुछ सिख इस रिपोर्ट से इसलिये सन्तुष्ट नहीं थे कि साम्प्रदायिक धाराओं में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था।

जिन्ना के द्वारा विरोध :—

नेहरु रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम लीग में मतभेद रहा, डॉ० अन्सारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट को स्वीकार किया, परन्तु मौलाना मुहम्मद अली तथा एम० ए० जिन्ना जैसे मुसलमानों ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया. सप्रू ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों के 33 1/2 % स्थान के आरक्षण पर बल दिया।

उसने सम्मेलन से अनुरोध किया कि साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए जिन्ना के प्रस्ताव को मान लिया जाए अन्यथा भारत औपनिवेशिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेगा। हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि जयाकर ने जिन्ना के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया और सम्मेलन को चेतावनी दी कि यदि यह नेहरू रिपोर्ट को मूल रूप में नहीं मानता है तो हिन्दू महासभा अपने को अलग कर लेगी। जिन्ना के संशोधन पर जब मतदान हुआ तो उसे कोई समर्थन नहीं मिला।

31 दिसम्बर 1928 के सर्व मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सिद्धान्त या सूत्र नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में रखे। कांग्रेस ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अतः कांग्रेस व लीग में समझौता नहीं हो सका। जिन्ना ने अपने 14 सूत्रों में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, सीटों का संरक्षण, मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटों की माँग आदि रखे थे। क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत ही प्रगतिवादी थी और उच्च श्रेणी की थी, इसलिये ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया।

जिन्ना का यह दूसरा प्रयास भी असफल रहा। मुस्लिम लीग की सभा, जिसमें इस पर विचार होना था, शोरगुल में भंग हो गई और कोई काम नहीं किया गया।

नेहरू रिपोर्ट का महत्व :—

यह भारत के भावी संविधान का एक ब्लू प्रिन्ट था। यह एक उच्चकोटि का रिपोर्ट था। जी० आर० प्रधान के अनुसार "1928 की नेहरू रिपोर्ट, साम्प्रदायिकता की भावना को मिटाने का उग्र तथा स्पष्ट प्रयत्न था।" सर शफात अहमद खाँ के अनुसार "नेहरू रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास था। अबतक जो भी इस प्रकार के प्रयास अन्य संगठनों द्वारा किये गये उनमें इसका विशेष महत्व है। इसने देश के सम्मुख एक महान आदर्श उपस्थित किया था। जिसके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती।

ब्रिटिश सरकार की नजर में नेहरू रिपोर्ट अत्यधिक क्रांतिकारी थी। कांग्रेस द्वारा यह माँग की गयी कि नेहरू रिपोर्ट को यदि ब्रिटिश संसद ज्यों की त्यों स्वीकार

कर ले तो कांग्रेस उसे मानने में आपत्ति प्रकट नहीं करेगी। परन्तु यदि रिपोर्ट को अस्वीकार या इसमें संशोधन लाना चाहेगी तो कांग्रेस उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारम्भ कर देगी। इंग्लैण्ड में 1929 में आम चुनाव हुआ। मजदूर दल का मंत्रिमंडल बनने से भारतीयों के बीच नई आशा का संचार हुआ किन्तु अनुदार दल के विरोध के कारण रिपोर्ट ज्यों की त्यों रह गयी। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था।

निष्कर्ष :

इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का पुराना दल इसे पूर्णतः स्वीकार करना चाहता था। पर मुस्लिम लीग में इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मतभेद हुआ। राष्ट्रवादी मुसलमान इसे पूर्णतः स्वीकार करने के पक्ष में थे। जिन्ना के नेतृत्व का गुट इसमें संशोधन करवाना चाहता था। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में चौदह सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशी नरेशों ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि यह उनकी सार्वभौम सत्ता को नष्ट कर देता था।

ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट को अधिक प्रगतिशील बतलाकर ठुकरा दिया। इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट भारतीय संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से एक मूल्यवान प्रलेख थी। डॉ॰ जकारिया ने इसे एक परिपक्व तथा राजमर्मज्ञपूर्ण रिपोर्ट कहा है। सर शफात अहमद खाँ ने कहा था कि नेहरू रिपोर्ट अत्यन्त रचनात्मक प्रयास था।